

क्रमांक: पं.08 (01)/आर.एन.सी./जी.बी. मीटिंग/2026/1080-84 दिनांक 30-1-2026

कार्यालय आदेश

कौंसिल की जी.बी. की बैठक दिनांक 23.12.2025 के एजेन्डा संख्या 7 के अनुसार कौंसिल में पंजीकृत नर्सिंगकर्मियों के “एमएससी इन फॉरेंसिक नर्सिंग” की अतिरिक्त योग्यता अर्जित किये जाने पर उसे स्वीकार करते हुए निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत तत्संबंधी अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र जारी किये जाने एवं इस हेतु राशि रुपये 5000/- जीएसटी अतिरिक्त शुल्क लिया जाना है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक: पं.08 (01)/आर.एन.सी./जी.बी. मीटिंग/2026/1080-84 दिनांक 30-1-2026
प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, (ग्रुप-3), जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. लेखा अनुभाग को सूचनार्थ।
4. आई.टी. सलाहकार (अनुबन्ध) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
5. कार्यालय प्रति।


रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर